Change in constitution of grievance committee for scientists

2188. SHRI ISH DUTT YADAB : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the present Grievances Committee Scheme for scientists constituted in pursuance of the recommendations of Gajendra Gadkar Committee and Estimates Committee of Lok Sabha is being revised;

(b) if so, whether proposed revision in the composition of the Grievances Committee would not adversely affect the working of the Committee; and

(c) what are the safeguards and protection available to elected scientist members of the Grievance Committee against possible harassment and victimization for their legitimate role as member of this "Committee"?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI HARI KRISHNA SHASTRI): (a) Sir. A Revised Grievance Redressal Procedure for all categories of employees (including Scientists) of the I.C.A.R. has been introduced w.e.f. the 10th February, 1989.

(b) No, Sir.

(c) There is an in-built provision in the new Redressal Procedure according to which even a member of the Grievance Committee can submit a complaint if he faces harassment or victimization.

Research centre for paddy etc. at Cuddapah in Andhra Pradesh

2189. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up research centre for paddy, coriande rand turmeric at Cuddapah in Andhra Pradesh; and

(b) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI HARI KRISHNA SHASTRI): (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

Shortage of foundry-grade pig iron

2190. SHRI SUNIL BASU RAY:
SHRI NARAYAN KAR:
SHRI MOHAMMED AMIN :

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry is against the import of foundry-grade pig iron; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

2191. [*Transferred to the 8th August, 1989*]

पंचगंगा चीनी फैक्टरी, कोल्हापुर में घपलेबाजी के मामले

2192. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी की मिलें बहुराज्य सहकारिता अधिनियम के अधीन कार्य कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और कितनी मिलों को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंचगंगा सहकारी चीनी कारखाना इच्छतकरण जी कोल्हापुर में चल रहा है ;

(घ) क्या यह सच है कि पंचगंगा सहकारी कारखाने के लेखाओं में घपलबाजी करन के अनेक मामले सामने आये हैं जैसा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से स्पष्ट है,

(ङ) यदि हां, तो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं,

(च) क्या यह भी सच है कि अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने के लिए रजिस्ट्रार ने 12 अप्रैल, 1988 को जांच करने के आदेश दिये थे ;

(छ) यदि हां, तो इस जांच प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ज) सरकार इस प्रतिवेदन पर कब और कितनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि सहकारी चीनी मिल जिसके कार्य का क्षेत्र एक से अधिक राज्य में है, उसे बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत माना जाता है । ऐसे चार सहकारी चीनी मिलें हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) एक विवरण-सलग्न है **(नीचे देखिये)** ।

(च) जी, नहीं ।

(छ) और (ज) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लेखा परीक्षण रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताएं निम्नलिखित हैं :

(1) निर्धारित सीमा से अधिक हथ-रोकड़ पास रखना ।

(2) अनचाहे उद्देश्य के लिए कारखाने के कार्य क्षेत्र के बाहर की संस्थाओं के लिए क्षेत्र विकास निधि का दूरुपयोग ।

(3) उठाऊ सिंचाई योजना में 2.17 करोड़ का अप्राधिकृत निवेश, जिसकी वसूली संदेहास्पद है ।

(4) जमा राशि पर ब्याज की अधिक दर से अदायगी जिससे कारखाने को हानि हुई ।

(5) अवमूल्यन निधि के नामे डालकर तथा लाभ हानि खाते में जमा करके तथा निवेश पर गैर-अर्जित ब्याज तथा पंजीकरण ब्याज दिखाकर 1.27 करोड़ की अनअर्जित आय दिखाई गई ।

(6) अप्राधिकृत सीमा से अधिक शेयर पूंजी की वसूली ।

(7) अनुचित और अवांछित क्रय ।

(8) पंचगंगा सहकारी चीनी कारखाना के कर्मचारी ऋण समिति को 7 लाख रुपये के ऋण को अप्राधिकृत मंजूरी ।

(9) मुख्यमंत्री राहत कोष, सूखा राहत कोष, बेकर योजना तथा लघु बचत के लिए गन्ने के मूल्य में की गई कमी की राशि संबद्ध अधिकारियों की जमा नहीं कराई गई है ।

(10) विज्ञापन संबंधी अप्राधिकृत व्यय ।

(11) चीनी निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे की अनुमति के बिना गन्ने के मूल्य का निर्धारण ।

(12) इथिलिन परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मेसर्स श्री राम और पाटिल एसोशिएट को अनुचित भुगतान ।

Right to Information

2193. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have been receiving representations to provide public Right to Information from various Groups and if so the details thereof and action taken/proposed to be taken in that regard;

(b) whether this would also involve changes in Official Secrets Act; and

(c) whether Government propose to provide for Ombudsman to ensure right to information?